प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक : एस0पी0एम0यू0/बी0एस0जी0वाई0/18/2012–13/ **दिनांक: 15 दिसम्बर, 2012**

विषयः राष्ट्रीय ग्रमीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना हेतु संविदा चिकित्सा अधिकारी (आयुष) की नियुक्ति की चयन प्रकिया की जानकारी के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया कार्यालय के पूर्व पत्रसंख्या एस0पी0एम0यू0/ बी0एस0जी0वाई0/18/2012–13/801–72 दिनांक 23.07.2012, एस0पी0एम0यू0/बी0एस0जी0वाई0/18/2012–13/1167–2 दिनांक 23.08.2012 तथा एस0पी0एम0यू0/बी0एस0जी0वाई0/18/2012–13/1598–2 दिनांक 05.10.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पत्र के द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों को बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना, जो कि एक नवीन तथा अति महत्वाकांक्षी योजना है, के संचालन हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय ग्रमीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पूर्व में कार्य कर चुके संविदा कर्मियों द्वारा समय–समय पर माननीय न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं तथा वर्ष 2011–12 में संतोषजनक कार्य सम्पादित कर चुके संविदा कर्मियों, जिनका उपयोग बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना में किया जाना संभव है, के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित पत्रों में स्पष्ट निर्देश भेजे जा चुके हैं।

विभिन्न न्यायालय वादों के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दि0 10.12.2012 को रिट याचिका संख्या–ए–52610/2012 में निम्न निर्णय दिया गया हैः–

"Accordingly as an interim measure this Court directs :

(i) All the Doctors and other staff who were engaged in the previous year under various schemes/sub schemes under N.R.H.M. Project on the availability of the post/fund are to be re-engaged just on getting an application from them.

(ii) The re-engagement has to precede a certificate by the Chief Medical Officer or other competent authority about their satisfactory service and good conduct for the immediate previous year of engagement.

(iii) In the event of change of the name of the scheme or sub scheme the claimant will be permitted to just move an application and in view of his earlier working in the district in the previous year he will be permitted to be adjusted in the current year also subject to satisfactory work, as already observed.

(iv) If in a particular district advertisement has already been published and a claimant was there in the previous year but for any reason he could not apply then, by issuing fresh publication at least ten days time is to be allowed enabling earlier appointees to move a formal application with requisite papers for the purpose of their re-engagement.

(v) The persons who are to be engaged are to continue till the scheme for the year of engagement is to continue and the fund is available and unless there is change in the policy or the court directs otherwise they are to continue.

(vi) As now a new sub scheme under the name of Child Care, Ashirwad etc. appears to be there the earlier appointees in the broader scheme of N.R.H.M. also has to be adjusted and if number of earlier applicants are not sufficient then there may be engagement of new persons.

It is to be clarified that satisfactory service which is the prime concern of the District Level committee to re-engage an old appointee has to mean a satisfactory work and conduct by the competent authority and if no action or any adverse order till the end of his period of engagement was passed then otherwise it is to be deemed a satisfactory service.

It is made clear that if on the facts any variance or any improvement is needed then it is always open for either of the sides to move appropriate application for necessary direction/amendment. Respondents are to file counter affidavit within six weeks so as to get writ petitions finally disposed of.

Let writ petition be listed after expiry of the time so allowed."

आप अवगत हैं कि राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की नियोजन एवं अनुश्रवण विंग है तथा समस्त योजनाओं का संचालन एवं पर्यवेक्षण आप के ही नियंत्रण में किया जाता है। अतः यह अनुरोध है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अपने स्तर से भेजने का कष्ट करें तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या :– एस.पी.एम.यू./बी.एस.जी.वाई./18/2012–13/2319-24 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त जिलाधिकारी–उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि वे जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय के अध्यक्ष हैं तथा जनपद में संचालित सभी गतिविधियां आप ही के नियंत्रण में हैं।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी–उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि आप जिला स्वास्थ्य समिति के शासी निकाय के संयोजक तथा कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं तथा जनपद में सभी योजनाओं का संचालन आपके स्तर से होता है।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/वित्त नियंत्रक–एन0आर0एच0एम0, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, लखनऊ।

15/12/12

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक